

कृषि निदेशालय, बिहार।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-36/2012

/कृ०, पटना, दिनांकमई, 2015

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री प्रदीप कुमार राय, क्षेत्रीय प्रबंधक,
मे० महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि० एग्री बिजनेस,
द्वारा-युनिक सेल्स कारपोरेशन,
201/बी०, द्वितीय तल, सरोज टावर,
जमाल रोड, पटना।

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति सं०-48-49, दिनांक 31.07.2012 का नवीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त आवेदन, कोषागार चालान एवं अन्य संगत कागजातों एवं सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, सर्वलेन्स मुख्यालय, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आलोक में कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत मेसर्स बी०आर०एग्रोटेक लि०, 1505 विक्रम टावर* राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली के विनिर्माण स्थल से विनिर्मित कीटनाशी को उनके विनिर्माण अनुज्ञप्ति/प्रिंसपल सर्टिफिकेट/मार्केटिंग एग्रीमेन्ट की वैधता तिथि के आलोक में निम्नलिखित कीटनाशियों से संबंधित अनुज्ञप्ति सं०-48-49, दिनांक 31.07.2012 का नवीकरण दिनांक 31.12.2016 तक किया जाता है।

क्र०सं०	कीटनाशी का नाम	क्र०सं०	कीटनाशी का नाम
1	Acephate 75% SP	19	Mancozeb 75% WP
2	Acetamiprid 20% SP	20	Metsulfuron methyl 20% W P
3	Alphacypermethrin 10% EC	21	Metribuzin 70% WP
4	Cypermethrin 25% EC	22	Protilachlor 50% EC
5	Carbendazim 50% WP	23	Profenofos 50% EC
6	Cartap Hydrochloride 4% GR	24	Pendimethalin 30% EC
7	Cartap Hydrochloride 50% SP	25	Paraquate Dichloride 24% SL
8	Chlorpyrifos 20% EC	26	Propiconazole 25% EC
9	Carbendazim 12%+Mancozeb 63% WP	27	Sulfosulfuron 75% WG
10	Chlorpyrifos 50% EC	28	Thiomethoxam 25% WG
11	Hexaconazole 5% EC	29	Thiophanate methyl 70% WP
12	Hexaconazole 5% SC	30	Triazophos 40% EC
13	Imidacloprid 17.8% SL	31	Triacntanol EC 0.05% min
14	Imidacloprid 70% WG	32	Triacntanol EW 0.1% min
15	Indoxcarb 14.5% SC	33	Atrazine 50% WP
16	Lambdacyhalothrin 5% EC	34	Imidacloprid 30.5% SC
17	Lambdacyhalothrin 2.5% EC	35	Validamycin 3% L
18	Metalaxyl 8%+Mancozeb 64% WP		

2-उपर्युक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:- मे0 महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि0 एग्री बिजनेस, द्वारा-युनिक सेल्स कारपोरेशन, H/O श्री ओमप्रकाश यादव, बड़ी पहाड़ी, थाना-अगमकुआँ, पटना

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी0 के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेंट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9-कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 48-49 दिनांक 31.07.2012 मूल रूप में संलग्न है। कृपया प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक २२६/

/कृ0, पटना, दिनांक ...16... मई, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।